

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या : 23

दिनांक : 27.02.2019

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री रामचंद्र

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में शराब की 3 दुकानें (1) प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने सेक्टर-24 रोहिणी (2) प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर-20 रोहिणी तथा (3) प्रहलादपुर गांव (बांगर), निकट महादेव चौक, में चल रही है;	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त स्थल पर शराब की दुकानें दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार है एवं नियम 51(1) के अंतर्गत है और जिनकी दूरी स्कूलों के द्वार/प्रवेश मार्ग से 100 मीटर से अधिक हैं।
ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इन शराब की दुकानों के विद्यालयों के नजदीक होने के कारण क्षेत्रीय विधायक द्वारा इनके विरुद्ध कई बार लिखित शिकायतें और व्यक्तिगत मीटिंग भी की जा चुकी है;	
ग)	क्या सरकार द्वारा इन शराब की दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु कोई कार्यवाई की जा रही है; और	सेक्टर-20 रोहिणी की शराब की दुकान का स्थानांतरण का प्रस्ताव शॉप नंबर-1, भू-तल इ.एस.एस. प्लाजा कमुनिटी सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, के लिए विचारधीन है।
घ)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार।

रवि धवन

(रवि धवन)

(आबकारी आयुक्त)

